संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, ब्याज की हानि, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 4,021.21 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 12 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 28 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (26 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और चार अकार्यरत कंपनियां थी। 31 मार्च 2018 को 32 सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश (प्रदत्त पूंजी, दीर्घावधि ऋण तथा उदय के अंतर्गत अनुदान/परिदान) ₹ 30,683.40 करोड़ था। राज्य सरकार ने 2017-18 के दौरान 14 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 16,255.45 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.4, 1.5, 4.6 तथा 4.11)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

28 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से, 24 सा.क्षे.उ. ने सितंबर 2018 तक अपने 35 लेखे प्रस्तुत किए। इनमें से 23 लेखाओं ने ₹ 1,033.64 करोड़ का लाभ दर्शाया तथा 12 लेखाओं ने ₹ 141.47 करोड़ की हानि दर्शाई। आगे, राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत वापसी अदा करनी होती है। लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से केवल एक सा.क्षे.उ. ने ₹ 5 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(अनुच्छेद 1.7, 4.8.1 तथा 4.19)

2. विद्युत क्षेत्र

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं:

कंपनी को 2013-16 के दौरान ₹ 2,703.69 करोड़ की अतिरिक्त हानि वहन करनी पड़ी क्योंकि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (ए.टी. एवं सी.) हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) के निर्धारित मानकों से अधिक थी। तथापि, कंपनी ने 2016-18 में ए.टी. एंड सी. हानि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(अनुच्छेद 2.1.6.2)

कंपनी ने बिजली अधिनियम के प्रावधानों तथा एच.ई.आर.सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेशों के विरूद्ध महिला उपभोक्ताओं को 2005-06 से 2017-18 के दौरान ₹ 14.40 करोड़ की रियायत दी (जून 2017)। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना ₹ 6.41 करोड़ की राशि की परिदान वाला टैरिफ प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी, एच.ई.आर.सी. को की जाने वाली राजस्व आवश्यकता अपीलों में इस राशि को शामिल नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 (क) (ख) एवं (ग))

कंपनी ने बिना मीटर वाले ए.पी. उपभोक्ताओं को 1,615.70 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त बिजली आपूरित की, जिसके लिए उनसे कोई राजस्व नहीं वसूला गया तथा कंपनी को 2013-18 के दौरान ₹ 18.90 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 2.1.7.2 (ii))

कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अग्रिम उपभोग जमा (ए.सी.डी.) के रूप में ₹ 935.91 करोड़ की राशि कम वसूल की तथा परिणामस्वरूप बढ़े हुए ऋण पर ₹ 122.05 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भार वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.8.5)

कंपनी ने कृषि पंपसेट (ए.पी.) मीटर वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक प्रभारों एवं नियत प्रभारों की कम वसूली और मीटर किराए के कम प्रभारण के कारण ₹ 15.02 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 (क, ख एवं घ))

कंपनी मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा यथा निर्धारित संग्रहण दक्षता लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी तथा परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि मार्च 2014 में ₹ 4,460.18 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹ 7,332.70 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

अध्याय 3 में लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है, जो राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधन में उन कमियों को प्रकट करती है, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने ट्रांसफार्मर तेल की खरीद खुली निविदा की बजाए लिमिटेड टेंडर से की, जिसकी वजह से ₹ 5.34 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। एन.ए.बी.एल. सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण कंपनी ₹ 198.54 करोड़ का माल उपयोग नहीं कर सकी। 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी।

(अनुच्छेद 3.1)

हरियाणा ऊर्जा खरीद केन्द्र

- एच.पी.पी.सी. द्वारा इरेडा के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में जी.बी.आई. के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने संबंधी कोई दंडात्मक प्रावधान शामिल न करने के कारण बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को ₹ 2.72 करोड़ का परिहार्य खर्च वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.2)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2014 के विरूद्ध बिक्री परिपत्र जारी करने के कारण कंपनी को ₹ 99.48 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

3. गैर-विद्युत क्षेत्र

अध्याय 5 में राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगम के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करने वाली लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने टोल संग्रहण संविदा की प्रदानगी तक विभागीय स्तर पर टोल संग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.15 करोड़ के राजस्व का संग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 5.1)

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड

- कंपनी ने ठेकेदारों को सेवा कर की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की और कर प्राधिकारियों के साथ रिफंड का दावा दर्ज करने में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.67 करोड़ का रिफंड नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

- एच.ए.आई.सी. और एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने एफ.सी.आई. से प्रतिपूर्ति के दावों के विलंबित प्रस्तुतिकरण/अप्रस्तुतिकरण के कारण ₹ 2.39 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता वहन की।

(अनुच्छेद 5.6)

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्गनिर्देशित सुरक्षा उपायों की अनुपालना न करने के कारण कंपनी ने ₹ 2.05 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 5.8)